		में ... व दि...
.08.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिर्पोट प्राप्त। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा मृत्यु प्रमाण पत्र सदरूराम, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खाता सख्या नया 6 ग्राम कांटलीपुरा, तथ्यात्मक जांच रिर्पोट दिनांक 31.08.2021, शपथ पत्र कजोड़मल का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम सदरू है तथा सतनागर व सदरू दो अलग अलग व्यकित नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है। **आदेश** **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम काटलीपुरा पटवार हल्का पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 120, 121, 122 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4900 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम सतनागर पुत्र बालु के बजाय सदरू पुत्र बालु दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।** (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी **निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:14:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner